

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 801/XXIV(1)/2011-45/2008 T.C.II dated 9 December, 2011 for general information.

Government of Uttarakhand Education Section-01 (Basic) No. 801/XXIV(1)/2011-45/2008 T.C.II Deharadun, Dated – 9 December, 2011

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 34 of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, (Central Act No. 39 of 2009) the Governor is pleased to constitutes. The State Advisory Council as per following composition:-

Chairperson


Hon'ble Education Minister, Govt. of Uttarakhand;

Ex-officio member -

- (1) Secretary, School Education, Govt. of Uttarakhand, (Vice-Chairperson):
- (2) Chairperson, State Commission for Protection of Child Rights, Uttarakhand;
- (3) Secretary, Women Empowerment and Child Development, Uttarakhand;
- (4) Secretary, Health Department, Govt. of Uttarakhand;
- (5) Secretary, Social Welfare Department, Govt. of Uttarakhand;
- (6) Director, Elementary Education, Uttarakhand, Dehradun;
- (7) State Project Director, Uttarakhand Sabhi ke liye Shiksha Parishad (Member Secretary);
- (8) Addl. Director, SCERT, Narendra Nagar (Tehri Garhwal);

Nominated Members

- (1) One member having specialized knowledge in the field of Pre-Primary Education;
- (2) One member having specialized knowledge and experience in the field of Education of Children with special needs;
- (3) One member from NGO's specially working in the field of Elementary Education;
- (4) One member from scheduled Caste /Scheduled Tribe/ Other Backward Classes; having specialized knowledge and practical experience of Elementary Education;




- (5) One member from Minority Community, having specialized knowledge and practical experience of Elementary Education;
- (6) One member having specialized knowledge in the filed of Teacher's Education;

Terms of Constituting the State Advisory Council and its function:

- 1- One third of the nominated members of the council shall be female
- 2- Member Secretary of the Council (i.e. State Project Director, SSA,, Uttarakhand) shall be responsible for convening meeting of the State Advisory Council.
- 3- The meetings of the State Advisory Council shall be convened in every three months and Council shall review the implementation of the provisions of the 'The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009' and 'The Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education Rules. 2011' as notified by State Government.
- 4- The functions of the State Advisory Council shall be advise The State Government on effective implementation of the provisions of the 'The Right of Children to Free and Compulsory Education Act. 2009'.
- 5- The presence of at least one third of the members shall be deemed full corum.
- 6- The Council shall be re-organized on every year.
- 7- The nominated members of the council shall get traveling allowance/ honorarium as per notified by the State Government from time-to-time.

The Real wife

(Om Prakash) Secretary



उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग—1(बेसिक) संख्या—801 / XXIV(1) / 2011-45 / 2008 T.C. II देहरादूनः दिनांक 09 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या—35 वर्ष, 2009) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य स्तरीय शिक्षा सलाहाकार परिषद् का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

अध्यक्ष

शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।

पदेन सदस्य

- (1) सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन (उपाध्यक्ष)।
- (2) अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखण्ड।
- (3) सचिव, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- (4) सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (5) सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
- (6) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (7) राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद् (सदस्य सचिव)।
- (8) अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड।

नामित सदस्य

- (1) पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त एक सदस्य।
- (2) विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले एक सदस्य।
- (3) प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन के एक सदस्य।
- (4) प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता तथा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के एक सदस्य।
- (5) प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता तथा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य।
- (6) अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त एक सदस्य।

सलाहकार परिषद् के गठन की शर्ते एवं कार्य-प्रक्रिया

- (1) राज्य सलाहकार परिषद् में नामित सभी सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।
- (2) उक्त परिषद् का सदस्य सचिव (राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान,

- उत्तराखण्ड) राज्य सलाहकार परिषद् की बैठकों को आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होगा।
- (3) राज्य सलाहकार परिषद् की बैठक प्रत्येक त्रैमास में होगी तथा परिषद् उत्तराखण्ड राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित 'उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी।
- (4) राज्य सलाहकार परिषद् का कार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्राविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर राज्य सरकार को परामर्श देना होगा।
- (5) कुल सदस्यों के न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में गणपूर्ति / कोरम पूर्ण माना जायेगा।
- (6) परिषद् का पुनर्गठन प्रतिवर्ष किया जायेगा।
- (7) परिषद् के नामित सदस्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित यात्रा व दैनिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।

ओम प्रकाश सचिव।

संख्या-/XXIV(1)/2011-45/2008 T.C.II/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की हरिद्वार को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश सचिव।

संख्या-801/XXIV(1)/2011-45/2008 T.C.II/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2. राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद् के सभी सदस्य।
- 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
- राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- निजी सचिव—मा० शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से, (आर०आर० सिंह) अनुसचिव।